

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल

पर्यावरण परिसर -ई-५ अरेया कालोनी भोपाल

E-mail:mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-०७५५-२४२७०९१

क्रमांक
प्रति

/नगरानि/टी.सी./इन्दौर/255//2014/ भोपाल, दिनांक

09/2019

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय—इन्दौर

विषय:- अधिनियम की धारा 23 क (1) के अधीन हुकमचन्द मिल इन्दौर की भूमि 52 शीलनाथ केम्प इन्दौर के उपयोग परिवर्तन बाबत।

संदर्भ:- उप सचिव म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक एफ-३/३३/२०१९/१८-५, भोपाल दिनांक 29.8.2019 एवं म.प्र. राजपत्र दिनांक 13.9.2019

-०-

उपरोक्त विषयांतर्गत म0प्र0 राजपत्र दिनांक 13 सितम्बर 2019 की छायाप्रति संलग्न कर लेख है, कि राजपत्र भाग—एक के पृष्ठ क्रमांक 6806 पर इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रकाशित उपान्तरण की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म0प्र0भोपाल

पृ.क्रमांक 5656 /नगरानि/टी.सी./इन्दौर/255/2014/ भोपाल, दिनांक 24/09/2019
प्रतिलिपि,

1. अवर सचिव म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

2. संयुक्त संचालक आई.टी. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म0प्र0भोपाल

ABTO
Pl upload
J/25/19

3. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
4. सदस्य को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेश एवं भत्ते देय होंगे।
5. सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य सेवा शर्तें बाध्यकारी होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2019

क्र. एफ-3-33-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 6267/टीसी/255/इन्दौर/उपां/नग्नानि/2015, दिनांक 6 मई 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण और निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कस्बा इन्दौर	190	17.956 हेक्टेयर में से 17.52 हेक्टेयर	औद्योगिक	बाणिज्यिक-10.768 आवासीय-06.752
<hr/>					<hr/>
योग . . 17.52					

उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019

क्र. एफ. 6-2-2017-चौवन-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्र. 57 पर अंकित “कोटवार” जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश एस. थेटे, सचिव।